

प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

10.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 1500 बजे

हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिए गए सभी विधायकों को एक महीने के भीतर पेंशन और एरियर जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने याचिका का निपटारा भी कर दिया। हाईकोर्ट द्वारा विधानसभा सचिव को दिए गए निर्देशों में अयोग्य करार दिए गए सभी विधायकों को एक महीने के भीतर एरियर सहित पेंशन और अन्य देय राशि जारी करने को कहा गया है। आदेशों में ये भी कहा गया है कि यदि इन पूर्व विधायकों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पेंशन और एरियर जारी नहीं किया जाता है तो विधानसभा सचिव उन्हें संबंधित राशि 6 प्रतिशत ब्याज की दर से देने के लिए जिम्मेवार होंगे।

भाजपा

इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए विधायकों की पेंशन समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा विधानसभा में लाए गए कानून को हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। जयराम ठाकुर ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से सरकार की फजीहत हुई है और विधानसभा की गरिमा को भी ठेस पहुंची है।

दूसरी ओर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जमवाल ने कहा है कि अयोग्यता के आधार पर सरकार द्वारा विधायकों की पेंशन रोकना असंवैधानिक है क्योंकि दल-बदल कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राकेश जमवाल ने कहा कि संविधान में पहले से ही अयोग्यता से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि पार्टी बदलने पर विधायक अयोग्य घोषित किया जा सकता है लेकिन ये प्रावधान सिर्फ सदस्यता समाप्त करने तक सीमित है और इनमें पेंशन समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

राज्यपाल

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आध्यात्मिक संस्थाओं की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों के बीच भारत की सभ्यता की संस्कृति को बनाए रखने में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही हैं। राज्यपाल आज नई दिल्ली में धर्म संघ महाविद्यालय के दौरे के दौरान छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से अनुशासन, दया और सेवा की भावना अपनाने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि सच्ची शिक्षा ज्ञान, चरित्र और सांस्कृतिक जागरूकता के मेल में है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को गौ सेवा कार्य में बढ़चढ़ कर भाग लेने की भी अपील की और कहा कि भारतीय परंपरा में गौ सेवा महत्वपूर्ण कार्य है।

होम्योपैथी दिवस

केन्द्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि होम्योपैथी केवल एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि यह करुणा और प्रमाण पर आधारित एक विज्ञान है। विश्व होम्योपैथी दिवस पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि होम्योपैथी की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है और लोग होम्योपैथी उपचार को वरियता दे रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से मजबूत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया।

मौसम

प्रदेशवासियों को फिलहाल मौसम के बिगड़े तेवरों से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमानों में कहा गया है कि 15 अप्रैल से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से राज्य में फिर से वर्षा, बर्फबारी, अंधड़ और आंधी तूफान की सम्भावना है। विभाग ने 15 और 16 अप्रैल को इसके लिए यलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 11 अप्रैल को भी राज्य के 5 जिलों चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी और शिमला में अलग-अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने का यलो अलर्ट जारी किया है। 13 और 14 अप्रैल को राज्य में मौसम के साफ बने रहने की सम्भावना है। इस बीच राज्य के जनजातीय जिला लाहौल स्पिति का केलंग आज सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान माईनस एक दशमलव 4 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में कल तक हुई वर्षा और बर्फबारी से जनजातीय और मध्यम उंचाई वाले इलाकों में लोगों को अभी भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है।
